**महत्व पूर्ण -सूचना**

**ई.पी.एफ.ओ. पेंशन 24 माह (58 से 60 के मध्य) की वसूल की गयी राशि के सम्बन्ध में**

आर्यावर्त बैंक के समस्त सम्मानित पेंशनरों/सेवा निवृत्त कार्मिकों को अवगत कराना है कि प्रधान कार्यालय को विभिन्न माध्यमों से उपरोक्त विषय से संबन्धित राशि की वापसी हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं । इस संदर्भ में आप सभी को संज्ञानित किया जाता है कि :-

(1) आर्यावर्त बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2018 के अनुसार सेवानिवृति आयु 60 वर्ष है । तदोपरांत सेवानिवृत्त कार्मिक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन हेतु पात्र होंगे।

(2) ई.पी.एफ.ओ. अधिनियम जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिक आच्छादित थे, के अनुसार 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ई.पी.एफ.ओ. पेंशन धनराशि, ई.पी.एफ.ओ. पेंशन निधि से प्रदान की जाती है । जो आप सभी को प्राप्त हो रही है/होगी ।

(3) पेंशन अधिनियम 2018 के अध्याय-III के बिन्दु 5 के अनुसार जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों को ई.पी.एफ.ओ. द्वारा पेंशन प्राप्त हो रही है, को **बैंक की मासिक पेंशन,** ई.पी.एफ.ओ. पेंशन राशि समायोजित करते हुये देय होगी।

(4) सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पेंशनरों द्वारा ई.पी.एफ.ओ. पेंशन 24 माह (58 से 60 के मध्य) की वसूल की गयी राशि केसम्बन्ध में प्रेषित अनुरोध पत्रों का संज्ञान लेते हुये बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर से, **नाबार्ड, प्रधान कार्यालय - मुंबई एवं बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय - मुंबई को संदर्भित पत्र दिशानिर्देश हेतु प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रत्युत्तर में अभी तक कोई भी दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं ।**

 उपयुक्त दिशानिर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

 **महाप्रबंधक**

**प्रधान कार्यालय**